

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1074]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 1074]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

का.आ. 1215(अ).— केंद्रीय सरकार, नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 (2016 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 19 अप्रैल, 2017 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 03-01/2017-डीडी-III] डौली चक्रबर्ती, संयक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

S. O. 1215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby appoints 19th day of April, 2017, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 03-01/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.